अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सहायता 43.80 करोड़ रुपए होगी।

(ख) इस परियोजना में पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों में 3.12 लाख हैक्टेयर कुल क्षेत्र शामिल है। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर निम्नलिखित लाभ प्राप्त होने की संभावना है :—

1. ईंधन की लकड़ी के बागान	59000	हैक्टेयर
2. चारे के बागान	27800	हैक्टेयर
3. कृषि वानिकी	81000	हैक्टेयर
4 उद्यान कृषि विकास	5400	हैक्टेयर

इसके अतिरिक्त फसलों के बेहतर स्वरूप के अनुसरण, मृदा और जल संरक्षण, लघु सिचाई, भण्डारण, कुण्डों के विकास आदि के माध्यम से कृषि उत्पादन में भी वृद्धि की जाएगी। पशुधन सुधार कार्यक्रम भी सम्मिलित किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

8701. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण सड़कों को पक्का करने के लिए और गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य को अनुदान/ऋण के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की ;

(ख) इस धनराशि में से कितनी धनराशि का उपर्युक्त अवधि में उपयोग कर लिया गया ;

(ग) वाराणसी प्रमंडल की उन सड़कों के नाम क्या हैं जिनका निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार इस आबंटित धनराशि का उपयोग करके करा रही है तथा स्वीकृत धनराशि में से अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ; और

(घ) क्या पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से निर्माणाधीन सड़कों का निर्माण-कार्य चालू वर्ष के दौरान पूरा कर लिए जाने का विचार है ताकि इन सड़कों के लिए निर्धारित परिव्यय में वृद्धि न हो ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) सड़कों को पक्का करने सहित ग्रामीण संपर्क सड़कों का निर्माण कार्य मुख्य रूप से राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के भाग के रूप में किया जाता है तथा इसके लिए निधियां राज्य की योजनाओं में उपलब्ध कराई जाती हैं। तथापि, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मानदंडों के अनुरूप सड़कों के कार्यों को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के भाग के रूप में किए जाने की अनुमति है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों सहित विशिष्ट परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में निधियां स्वीकृत की जाती हैं, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का कोई क्षेत्र-वार आवंटन नहीं किया जाता है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम 15 अगस्त, 1983 से आरम्भ किया गया था और इसके आरम्भ होने से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश को 17869.64 किलोमीटर लम्बी सड़कों के निर्माण के लिए 178.78 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, दिसम्बर, 1986 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 13940

किलोमीटर लम्बी सड़कों के या तो निर्माण किए जाने अथवा उनकी मरम्मत किए जाने की सूचना मिली है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के विशेष समस्या वाले क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना उत्तर प्रदेश में इस आधार पर लागू की जा रही है कि उसकी लागत को केन्द्र तथा राज्य के बीच 50:50 के आधार पर वहन किया जाएगा। 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत 34.65 करोड़ रुपए के प्रशासनिक अनुमोदन से 20 सड़कों तथा पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। फरवरी, 1987 के अन्त तक 10.92 करोड़ रुपए के उपयोग किए जाने की सूचना मिली है।

(ग) और (घ) मंत्रालय में सड़कवार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

Multi-purpose Bansagar Project

802. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) what is the reason for the delay in the completion of the multi-purpose Bansagar project formulated in collaboration with the Governments of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar in 1974 for irrigation and power projects;

(b) what is the cost escalation due to the delay in implementation of the project; and

(c) by when the project is likely to be completed?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): (a) to (c) The main reasons for delay are constraint of resources and non-acquisition of land and property. The cost escalation is estimated to be about 7 to 10 per cent per year. The Dam is expected to be completed by March, 1992.

Irrigation under Tribal Sub-Plan in Madhya Pradesh

803. SHRI AJIT P. K. JOGI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) what is the percentage of tribal population in Madhya Pradesh with respect to total population and what is the percentage of Minor Irrigation funds being allotted to Tribal Area Sub-Plans of the State by State Irrigation Department;

(b) what is the percentage of tribal beneficiaries in number and area with respect to the total beneficiaries of the State to whom the Irrigation Department has provided irrigation benefits during the years 1984-85, 1985-86 and 1986-87;

(c) whether it is a fact that the Irrigation benefits directly help the tribal families in uplifting their economic status;

(d) what are the reasons that the Government of India are not permitting the use of Special Central Assistance to supplement the plan funds of State Government being used for minor irrigation of Tribal Area Sub-Plan; and

(e) whether Government propose to change their stand and treat the minor irrigation programme of the State as entirely oriented to tribal family benefit and provide proportionate special central assitance to supplement such funds?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): (a) The percentage of Tribal population in Madhya Pradesh is 22.97. The State Government has proposed allocation of 43 per cent of Minor Irrigation funds to the Tribal Sub-Plan.